भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2442

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

केंद्रीय अनुदानों पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता

2442. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय हस्तांतरण और अनुदानों पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता के क्या कारण हैं जो गत दशक के दौरान राज्यों के कुल राजस्व का लगभग 23-30 प्रतिशत रहा है;

(ख) सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क और अन्य राजस्व स्रोतों के संग्रहण की दक्षता में सुधार सहित राज्यों की स्वयं कर राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले राज्यों के स्वयं के कर राजस्व के घटते अनुपात का आकलन किया है और यदि हां, तो इस गिरावट में योगदान देने वाले कारकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त प्रवृत्ति को उलटने और राज्यों की दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार कर-साझेदारी, जीएसटी संरचना में समायोजन सहित किसी कर सुधार पर विचार कर रही है जिससे राज्यों को उनके द्वारा एकत्रित करों का अधिक हिस्सा बनाए रखने में मदद मिल सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): केंद्र सरकार, केन्द्रीय करों और शुल्कों के विभाज्य पूल तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के लिए अनुदान एवं वित्त आयोग अनुदानों सहित सहायता अनुदानों से कर अंतरण के अंतर्गत राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराती है। पिछले दशक में, केन्द्र से राज्यों को केन्द्रीय करों और शुल्कों के अंतरण, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को अंतरण में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त,

राज्यों को पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए विशेष सहायता स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 4,24,226.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय का गुणन कारक अधिक होता है और निजी निवेश में वृद्धि होती है। इससे आपूर्ति पक्ष की क्षमता बढ़ती है और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, जिससे राज्यों की स्वयं के कर राजस्व जुटाने की क्षमता भी बढ़ती है।

(ग) से (घ): जीएसडीपी की तुलना में अपने कर राजस्व के घटते अनुपात को कम के लिए, राज्यों को कर आधार में सुधार, राजस्व के रिसाव को रोकने और कर अनुपालन में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए डिजिटलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति का भी लाभ उठाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने डिजिटलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को निधि प्रदान की है। इसके अलावा, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सशर्त अनुदान का एक हिस्सा कर संग्रह को बढ़ाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय के प्रयासों से भी जोड़ा गया है।

इसके अलावा, राज्यों ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम लागू किया है, जो राज्य सरकार को राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। राजकोषीय उत्तरादायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुपालन की निगरानी राज्य विधान मंडल द्वारा की जाती है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय सामान्यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत राज्यों द्वारा उधारी को मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग करते समय वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों द्वारा अधिदेशित राजकोषीय सीमाओं का पालन करता है।

(ङ): जीएसटी दर संरचना को सरल बनाने, वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करने, जीएसटी राजस्व बढ़ाने और जीएसटी दरों में बदलाव की सिफारिश करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा दर युक्तिकरण पर मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया गया है। राज्यों सहित दर युक्तिकरण संबंधी सभी शिकायतों की जांच जीओएम द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों से प्राप्त शिकायतों की जांच विधिक समिति (जीएसटी अधिनियम, नियमों आदि के संबंध में) और फिटमेंट समिति (जीएसटी दरों, वर्गीकरण आदि के संबंध में) द्वारा की जाती है। दोनों समितियों में केंद्र और राज्यों दोनों के अधिकारी शामिल होते हैं। राज्यों से प्राप्त प्रणाली संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए उनकी जांच जीएसटीएन द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों से प्राप्त किन्हीं विशिष्ट परिवादों/शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए उनकी जांच जीएसटी परिषद सचिवालय द्वारा की जाती है।

*****